

**कार्यालय— अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।**  
**कार्यालय—आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के नियम-21(2) में निहित प्राविधानों के अनुसार अपर निदेशालय, गढ़वाल मण्डल स्तर से किये जाने वाले स्थानान्तरण हेतु मण्डलीय स्थानान्तरण गठित समिति की संस्तुति आधार पर स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी संवर्ग कार्मिकों के पदों पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को अनिवार्य आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में वर्णित स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

**क: पशुधन प्रसार अधिकारी कार्मिक**  
**क(1):अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)**

क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभियुक्ति
01	श्री महेश चन्द्र	पशु सेवा केन्द्र, गांगरौ, देहरादून	पशु सेवा केन्द्र, साबली, टिहरी	जनहित
02	श्री महानन्द वैष्णव	पशु सेवा केन्द्र, सभावाला, देहरादून	पशु सेवा केन्द्र, संगलाकोटी, पौड़ी	जनहित
03	श्री सत्येन्द्र पाल	पशु सेवा केन्द्र, मेवाडकला, हरिद्वार	पशु सेवा केन्द्र, सिल्काखाल, टिहरी	जनहित
04	श्री मनीष	पशु सेवा केन्द्र, लिब्बरहेडी, हरिद्वार	पशु सेवा केन्द्र, चौण्डमूलधार, टिहरी	जनहित
05	श्री हेमन्त भारद्वाज	पशु सेवा केन्द्र, सिगगडी, पौड़ी	पशु सेवा केन्द्र, भवासी, पौड़ी	जनहित

**क(2):अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)**

क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभियुक्ति
01	श्री कल्पेश प्रसाद तिवाडी	पशु सेवा केन्द्र, सिल्काखाल, टिहरी	अतिहिमीकृत वीर्य संग्रह, पशुलोक-ऋषिकेश	जनहित
02	श्री बृजमोहन गुसाई	पशु सेवा केन्द्र, ढौंडियाल, पौड़ी	पशु सेवा केन्द्र, सिगगडी, पौड़ी	जनहित

स्थानान्तरित कार्मिक को बिना किसी प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये एक सप्ताह के भीतर कार्यमुक्त किया जाय, किसी भी कार्मिक के स्थानान्तरण रोकने हेतु उनका स्वयं एवं किसी सम्बन्धी का प्रत्यावेदन अग्रसारित न किया जाय, यदि कोई कर्मचारी स्थानान्तरण रोकने का प्रयास करता है तो सम्बन्धित कर्मचारी के कृत्य एवं आचरण को स्थानान्तरण अधिनियम 2017 का उल्लंघन मानते हुये उनके विरुद्ध संगत प्राविधानों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी

ह०/- (डा० अशोक कुमार)  
अपर निदेशक।

पृ०सं० 545  
प्रतिलिपि:

- /स्था०-2/स्थाना०-प०प्र०प्र०/2023-24 दिनांक 16/06/2023  
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ
  - 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
  - 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/पौड़ी/ टिहरी/हरिद्वार।
  - 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
  - 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

(डा० अशोक कुमार)  
अपर निदेशक।